

27
22

पञ्जावली पेश हुई। वहील वादीया एवं वादीया
उप०। वादीया ने शर्चना पत्र पेश कर बाद
को विद्दो करने हेतु निवेदन किया।
वादीया उक्त बाद को भागे जैरकार
रखना उचित नहीं समझती है। अतः
बाद शरी एत प्त विद्दो किया
जाता है। पञ्जावली केशल सुमार दोउर
नम्बर से कम की जावे। निर्णय
आज दिनांक 22-7-22 को सरें इजलाल
सुनाया जाता है।

Handwritten signature and stamp in blue ink.

Handwritten signature.

उप सण्ड अधिकारी
मंगरोल जिला बारी (राज०)